



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 9094 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2012 भोपाल, दिनांक 22/09/2012
प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा-म.प्र.
जिला- समस्त(म.प्र.)

विषय: मनरेगा योजना में पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री व्यय का 60:40 का अनुपात
संधारण करने बाबत।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की गाईड लाइन 2008 के अध्याय 6 की कंडिका 6.2 में
स्कीम अंतर्गत संपादन किये जाने वाले कार्यों में पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी-सामग्री अनुपात
60:40 जिलास्तर पर अनिवार्यता किये जाने के निर्देश हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.J-11060/07/2012-
MGNREGA-VII दिनांक 20.7.2012 से प्राप्त निर्देशों में अधिसूचना दिनांक 04 मई 2012 (S.O.
No.10271) Para 2(ix) of Schedule I of the Act में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात, ग्राम
पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी अनुक्रम में ग्रामीण
विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक J-16020/22/2012-MGNREGA(RE-VIII) दिनांक
16.8.2012 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कार्य 4 मई 2012 के पूर्व स्वीकृत होकर
प्रारंभ हो गये हैं अर्थात् ऐसे कार्यों के संपादन हेतु मस्टर रोल प्रदाय किया जा चुका है उनमें
मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण के पूर्व प्रावधान लागू रहेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव,

गोप्रो शारान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ०क० / १०१५ / MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2012 भोपाल, दिनांक २२/०९/२०१२

प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल।
- 2 परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी., भोपाल।
- 3 संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
- 4 संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
- 5 मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र.।
- 6 कमिश्नर, समस्त संभाग, म.प्र.।
- 7 अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त म.प्र.।
- 8 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त म.प्र.।
- 9 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म.प्र.।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।



अपर मुख्य सचिव,
म०प्र० शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग